मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः25.10.2025

थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर (डिजिटल) अरेस्ट कर ट्रेडिंग व बाइनेन्स एप के माध्यम से लाखों की ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, लैपटाप, पासबुक, चेकबुक व नगदी बरामद -

थाना साइबर क्राइम, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 19.07.2025 को वादी मदन मोहन पुत्र स्व0 सहदेव प्रसाद निवासी डीजी कालोनी तरकापुर थाना को0शहर जनपद मीरजापुर द्वारा मनी लान्ड्रिंग केस में फसाने की धमकी देकर साइबर (डिजिटल) अरेस्ट कर अलग-अलग बैंक खातों से लगभग 92 लाख रूपये का फ्राड करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0-24/2025 धारा 318(4),319(2),351(4) बीएनएस व 66(डी) आई.टी. एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त प्रकरण को गंभीरता पूर्वक लेते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम को निर्देश दिए गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत मु0अ0सं0-24/2025 धारा 318(4),319(2),351(4) बीएनएस व 66(डी) आई.टी. एक्ट में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांकः 24.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक राम आधार यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बधित प्रकाश में आये अभियुक्त आदित्य सिंह पुत्र राजीव सिंह निवासी आ.न.-1381, भगवा नाला रोड़, हुकुलगंज पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी स्थायी पता- कितपुरा, चकिया बाजार, जिला बक्सर, प्रान्त बिहार को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

अपराध करने का तरीकाः-

अभियुक्त द्वारा ट्रेडिंग व बाइनेन्स एप के माध्यम से वर्ष 2022 से फ्राड का पैसा अपने खातों में लेना तथा खाते होल्ड एवं फ्रीज होने के कारण उक्त फ्राड का पैसा अपने परिचित व साथियों के माध्यम से दूसरे के बैंक खाता, खाता धारक को पैसों का लालच देकर प्राप्त कर उन खातों में पैसे को लेना तथा अपना कमीशन रख बाकी पैसा को बाइनेन्स एप के माध्यम से यूएसडीटी को बेचकर पैसा वापस ले लेता था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वादी मदन मोहन को डिजिटल एरेस्ट कर भय व डर दिखाकर 92,15,520 रु0 का फ्राड किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

आदित्य सिंह पुत्र राजीव सिंह निवासी आ.न.-1381, भगवा नाला रोड़, हुकुलगंज पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी स्थायी पता- कितपुरा, चकिया बाजार, जिला बक्सर, प्रान्त बिहार।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-24/2025 धारा 318(4),319(2),351(4) बीएनएस व 66(डी) आई.टी. एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

03 आधारकार्ड, 03 मोबाइल, 01 लैपटॉप, 11 पासबुक, 15 चेकबुक व नकद 19000/- रूपये बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक रामआधार यादव, निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार यादव मय पुलिस टीम।

******